हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03/01/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो।

27/01/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/03/25 को पेश हो।

20/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/04/25 को पेश हो।

8/04/2025

Cems-2024/86

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियों के मध्य की तरमीम पूर्व के राजस्व नक्शे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में पटवारी हल्का खादरा की फर्द मौका जांच व तरमीम शुद्ध करवाने की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2025 के आधार पर कराये जाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि के पुराना ख.नं. 50 व 49 राजस्व ग्राम नीमोद प.ह. महावा में दोनो खसरा नम्बरान के मध्य पूर्व राजस्व नक्शे में सीमांकन बनी हुई हैं। परन्तु सैटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमियों के मध्य पूर्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज सीमांकन (सींव) राजस्व नक्शे में नहीं की जाकर व मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करने की कार्यवाही कर दी गयी। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Yadav
Date: 2025.05.07
Reason: SelfAttest

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 115 ता 117, 869/114, 870/114, 871/114, 872/118, 873/118, 874/119, 875/119, 876/120, 877/120 कुल किता 12 कुल रकबा 9.3900 है0 एवं ख.नं. 121, 123/746, 128 व 129 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 है0 में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 13.06.2024 के साथ संलग्न पटवारी प.ह. खादरा की जांच रिपोर्ट के अनुसार तरमीम शुद्व किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांकित 13.06.2025 निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह याद
उपखण्ड अधिका
नीमकाथाना

राजवीर सिंह याद
उपखण्ड अधिकार

Signature Not Verif
Digitally signed by Rajv
Yadav
Date: 2025.05.07 12:50
Reason: SelfAttested